खण्ड-379, अंक-1
सोमवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1908
(2 मार्च, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1987)

खण्ड 379 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	15
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	16
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	16
उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	16
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	16
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	16
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	17
शामली में घटित घटना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	19
नत्थियां	23–34

Sample Paper

9114

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 2 मार्च, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 12 बजकर 30 मिनट पर दिन म अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	बलदेव सिंह, कैप्टन	अलीगढ़
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	बहादुर सिंह, श्री	आगरा
		बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	भागीरथ चौधरी, श्री	झांसी
त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	मनहरन नाथ कौल, श्री	बहराइच
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती	वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
		सतीश अजमानी, श्री	खीरी
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई	सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट, श्री	फर्रुखाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा	सैय्यद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट—श्रीमती दीपा, राज्यमंत्री तथा कु0 सरस्वती अम्माल, राज्यमंत्री भी सदन में अनुपस्थित थीं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय राज्यपाल 11.00 बजे के पहले ही 10.58 पर यहां से चले गये। जब कि नियमावली में यह प्राविधान है कि जब राज्यपाल यहां पर भाषण करेंगे तो उसके लिए समय और स्थान नियत किया जायेगा और जो समय नियत किया गया था वह 11.00 बजे का था और माननीय राज्यपाल 10.58 पर यहां से चले गये। जो समय संयुक्त अधिवेशन के लिए आहूत किया गया था उस समय माननीय राज्यपाल सदन में थे ही नहीं इसलिए जो समय से पहले उन्होंने कहा है उसे उनका अभिभाषण नहीं माना जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय राज्यपाल का अभिभाषण औपचारिक नहीं माना जा सकता है, विधिवत् नहीं माना जा सकता है इसलिए फिर से माननीय राज्यपाल आयें और सदन को सम्बोधित करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान भारत का संविधान के 176 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, 176 में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की दशा में एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को राज्यपाल सम्बोधित करेंगे तथा आह्वान का कारण विधान-मंडल को बतायेंगे।

इस प्रकार यह हमारे संविधान में एक बाध्यता है, नियम है। अब मान्यवर, नियमों के अनुसार तो आह्वान हुआ ही नहीं। माननीय सदस्यों को 11.00 बजे का समय माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए नियत किया गया था लेकिन आप भी जानते हैं कि माननीय राज्यपाल 11 बजने में चार मिनट पहले ही आ गये और उनके आने की संज्ञानता आपके मार्शल ने भी नहीं ली। मार्शल ने राज्यपाल के आने की सूचना सदन को नहीं दी। इसका मतलब है कि उन्हें भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि माननीय राज्यपाल 11.00 बजने के पहले ही आ जायेंगे। माननीय राज्यपाल 11-00 बजे के पहले आये और उन्होंने भाषण पढ़ने की औपचारिकता की तथा 11-00 बजने में दो सेकेंड कम थे जिस समय माननीय राज्यपाल चले गये। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या समय के पहले उनके द्वारा दिये गये भाषण को मान्य घोषित किया जायेगा मेरी अपनी धारणा है कि इस अभिभाषण को मान्यता नहीं देना चाहिए। अब साढ़े बारह बजे से सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हो रही है जिसमें नियम 19(2) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये भाषण को मा0 अध्यक्ष सदन में पढ़कर सुना सकेंगे।

मैंने यह प्रश्न प्रस्तुत किया है कि जब भाषण समय पर हुआ ही नहीं तो उस भाषण को अब आप अपने श्रीमुख से सुनाने की कृपा न करें। आप इस अधिवेशन को स्थगित कर दें और राज्यपाल जी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुबारा सूचित करें कि यह अभिभाषण मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए आप दुबारा इस सत्र को आहूत करने का समय निश्चित करें । दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को आहूत किया जाय और फिर राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण सुनायें, यही मेरा आपसे निवेदन है । मान्यवर, अब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हो रही है । यह माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण को आपके द्वारा पढ़ने से प्रारम्भ होगी । मैं चाहता हूं कि आप इस सत्र को स्थगित करने की कृपा करें । इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(शोर)

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी की बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन नियमावली में जो व्यवस्था है, उसे देखिये। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय–4 के नियम 15 के उप नियम (1) में दिया गया है कि अध्यक्ष के निदेश के अधीन रहते हुये सभा का उपवेशन साधारणतया 11 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होगा। जो आहवान पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ था वह 11 बजे के लिये प्राप्त हुआ था । जैसा कि गुप्ता जी ने निवेदन किया महामहिम राज्यपाल महोदय इस सदन में 4 मिनट पहले आ गये तथा अभिभाषण सदन के पटल पर रख कर 11 बजने में दो सेकेंड पूर्व ही चले गये । जो संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत है वह यह है कि राज्यपाल महोदय आयेंगे और समवेत सदनों को संबोधित करेंगे, उसका परिपालन मा0 राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है। यह अभिभाषण नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यह सदन नहीं चल सकता सन् 1967 में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय हुआ था उसके अन्तर्गत यह माना गया था कि राज्यपाल का अभिभाषण मैनडेटरी है । जब तक राज्यपाल संवैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत अभिभाषण नहीं करते तब तक इस सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती । जो कार्यवाही चल रही है वह असंवैधानिक हो जायेगी । सदन की कार्यवाही स्थगित करके अनुच्छेद 176 (1) व (2) के अंतर्गत राज्यपाल महोदय से निवेदन करें कि वह पुनः आकर अपना अभिभाषण पढ़ें, उसके बाद ही सदन की कार्यवाही चले ।

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक सदस्य बोलना चाहते हैं, मान्यवर, उन्हें अनुमति दें ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, संपूर्ण सदन गुमराह है । मान्यता का प्रश्न है । नेता विरोधी दल के रूप में सत्यपाल सिंह यादव जी को चुना गया है । दूसरी प्लेट मुलायम सिंह यादव जी की भी लगी है । हम यह जानना चाहते हैं कि किस रूप में उन्हें मान्यता प्रदान की गयी है । किसी अन्य के नाम की प्लेट नहीं लगी है । वह सदन में किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपा कर बैठें। यह अध्यक्ष का विवेक है कि कौन सदस्य कहां बैठेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य सीतापुर ने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के सदस्य हों चाहे उस पक्ष के, सारे सदन को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल के अभिभाषण को सुने। हमें समय 11 बजे का दिया गया था। राज्यपाल महोदय इससे पहले ही आ गये। जो सदस्य पहले से आ गये थे उन्होंने सुना जो ठीक 11 बजे आये वह नहीं सुन पाये। राज्यपाल ने 4 मिनट पहले ही अभिभाषण दिया। जो संवैधानिक नियम है कि हम राज्यपाल के अभिभाषण को सुने, वह पूर्ण नहीं हुआ। जो ठीक समय से आये वह वंचित रह गये। यह गलत परम्परा पड़ेगी, जो संविधान के विरुद्ध होगी। यह संविधान का अपमान होगा, इस सदन का अपमान होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था दें कि गलत परम्परा न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य सीतापुर के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

एक परम्परा तो डाल ही दी आपने, न सुनने वाली।

(हंसी)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, भारत के संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों संविधान के संरक्षक होते हैं। यहां तो स्वयं ही राज्यपाल ने नियम तोड़ा है। राज्यपाल स्टेट का प्रमुख होता है। मेरा निवेदन है कि कार्यवाही को स्थगित करके पुनः दोनों सदनों को आहूत करके राज्यपाल को लिखें कि वह अपना अभिभाषण दें।

(शोर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने सबसे पहले तो संविधान के अनुच्छेदों का हवाला दिया। माननीय गुप्ता जी ने 176 अनुच्छेद का हवाला दिया लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया कि 176 का उल्लंघन कहां पर हुआ है। अगर आप अनुच्छेद 176 को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगे और यहां आयेंगे। इसमें संविधान का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरी बात माननीय सदस्य शाही जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कही। यह फैसला फरवरी, 1965 का है, माननीय शाही जी ने बड़ी खूबसूरती से फैसले को पढ़े बगैर अपनी बात उसी तरह से कह दिया जिस प्रकार से जूलीयस सीजर खड़े होकर कहता था हियर इज दि बिल लेकिन बिल को पढ़कर सुनाता नहीं था कि उसमें क्या लिखा है। जो कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट दायर हुई थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है–

"डिसमिसिंग दि रिट आफ मैन्डमस, दि कैलकटा हाई कोर्ट आबजर्व्ड दैट प्रोसीड्यूरल फेल्योर शुड नाट बी ओवर एम्फसाईज्ड बीकाज बाई लेईंग ए कापी आफ दि गवर्नर्स एड्रेस, आन दि टेबुल-दि आबजेक्ट आफ दि एड्रेस बाज सब्सटैनशियली सर्व्ड एण्ड दि मेम्बर्स कुड बिकम अवेयर आफ दि कन्टेन्ट्स आफ दि एड्रेस".

माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब टेबुल पर अभिभाषण की कापी रख दी गई, हुल्लड़ हो रहा था, तो जो कापी रख दी गई उससे जो उद्देश्य था वह पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गया और अभिभाषण में जो लिखा है, उसका पता माननीय सदस्यों को चल गया। मान्यवर, यहां पर आज किसी तरह से संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं हुआ है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय 11 बजे यहां आये...

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह असत्य है।

श्री अम्मार रिजवी–

कुछ लोगों की आदत होती है पिछले वाले गेर में चलने की। जो समय के पीछे चलने वाले हैं वह समय के आगे की बात सोच ही नहीं सकते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार यहां आये और जो बात वह कहना चाहते थे उसको यह सुनना नहीं चाहते थे, इसलिये इन्होंने घड़ी की सुई नहीं देखी। जो बात वह प्रजातांत्रिक तरीके से कहना चाहते थे उसको कहने की यह इजाजत नहीं दे रहे थे। जो प्रजातंत्र के अलम्बरदार बनते हैं। यहां किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। महामहिम राज्यपाल महोदय 11 बजे यहां पर आये और अपना अभिभाषण दिया। मान्यवर, शतरुद्र जी की समझ में यह बात नहीं आयेगी–

"या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात
दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और।"

इसमें मान्यवर, किसी प्रकार का कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, 4 मिनट पेश्तर गवर्नर साहब यहां आए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि ठीक टाईम पर आए तो अगर महामहिम इनकी घड़ी के हिसाब से चलते हैं तो इनको चाहिए मान्यवर, यह अपनी घड़ी को दुरुस्त कर लें, 5 मिनट इनकी घड़ी तेज है।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सदन की मर्यादा को बनाये रखना हम सब का कर्तव्य है और यह हम सभी लोग जानते हैं कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो मार्शल आते हैं और सदन के अंदर यह घोषणा करते हैं कि महामहिम राज्यपाल। लेकिन मान्यवर, आज इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की आज कल तमाम असंसदीय परम्पराओं का सृजन हो रहा है। इसलिए हम सभी लोग यह चाहते हैं कि आपकी पीठ से इस तरह का कोई कार्य न हो जिससे हम लोग यह न समझें कि कोई गलत काम हो रहा है और मान्यवर, हम सभी लोग एक मत से यह विश्वास रखते हैं कि महामहिम राज्यपाल 4 मिनट पहले सदन में आए, आप इसकी छान-बीन करा सकते हैं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है और नियमावली के किसी भी नियम को कंडोन कर सकते हैं। इस संबंध में अन्य तमाम माननीय सदस्यों द्वारा उच्च न्यायालयों के फैसले भी आपके सामने पढ़कर रखे गये। इनके तहत भी माननीय राज्यपाल महोदय ने विधिवत् अभिभाषण के पढ़ने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसलिए मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पक्ष या विपक्ष का ध्यान न रखते हुए, सदन की मर्यादा के तहत निष्पक्ष निर्णय आप दें, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। (शोर)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, श्री राज्यपाल 11.00 से पहले आए क्योंकि उस वक्त हम लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाबी में बैठे थे, परन्तु वहीं जब शोर-गुल सुना तो अंदर आने की कोशिश की परन्तु यह आपके जो नीली वर्दी वाले हैं, इन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मान्यवर, इन लोगों ने यह कैसा तमाशा बना रखा है। मैं शोर-गुल सुनकर महा-महिम राज्यपाल महोदय को देखने के लिए अंदर आना चाहता था कि वह साल भर के बाद आये हैं, उनका चेहरा तो देखूं कि कैसा है (हंसी) हमारे अधिकारों की मान्यवर, रक्षा की जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, मैं इस पर काफी सुन चुका हूं। कृपया बैठें, मैं खड़ा हुआ हूं। श्री राज्यपाल 11.00 बजे से कुछ क्षण पूर्व सदन में आ गये थे। इस पर शोर-गुल शुरू किया गया। 11.00 बजे तक उन्होंने इन्तजार किया और ठीक 11.00 बजे उन्होंने अपना भाषण पढ़ना शुरू किया और जब कुछ माननीय सदस्यों ने शोर-गुल बराबर जारी रखा और अधिकारियों की मेजों पर खड़े होकर हंगामा करने की कोशिश की तो उन्होंने सदन के पटल पर भाषण की प्रतिलिपि रख दी और वापस चले गये। इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। (घोर व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

विधान मंडल के वर्ष 1987 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको सम्बोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस वर्ष हमारे प्रदेश के दो कर्मठ नेता और विधान सभा सदस्य प्रोफेसर वासुदेव सिंह एवं श्री जयराम वर्मा का निधन हो गया। दोनों ही इस प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। प्रोफेसर वासुदेव सिंह विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ....

(सदन की सहमति से अभिभाषण का शेष भाग पढ़ा हुआ मान लिया गया तथा मद संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री राज्यपाल अभिभाषण के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 23 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपसे एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल महोदय ठीक 11.00 बजे आए और आपने कहा कि 11.00 बजे से कुछ क्षण पहले आए। तो आपके द्वारा कही गयी बात सही है या जो बात संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा कही गयी, वह सही है। संसदीय कार्य मंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि ये सत्य के नजदीक भी नहीं जाते हैं। तो मान्यवर, यह जो आपकी और उनकी बात में अंतर है तो सत्यता क्या है?

श्री अध्यक्ष–

यह घड़ी में अंतर हो सकता है।

इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापा नहीं गया।

अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एजेन्डा के आइटम नं0–2 से आइटम नं0–9 तक जो अध्यादेश हैं, वे आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं। मान्यवर, संविधान के अध्याय–4 में आर्टिकिल 213 में राज्यपाल को जो विधायी शक्तियां प्रदान की गयी हैं, वे असाधारण परिस्थितियों में उपयोग करने के लिये दी गयी हैं। इसी प्रकार आप हमारी नियमावली को देखें। इसके नियम 14 में यह व्यवस्था की गयी है कि आर्टिकिल 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन आयव्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे। मान्यवर, पिछले सत्र में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे 90 दिन के उपवेशन कराने की व्यवस्था करेंगे और तीन अधिवेशन जरूर होंगे। लेकिन ये सारे अध्यादेश उस समय जारी कराए गये, जबकि शीतकालीन अधिवेशन का समय था। इन्होंने इस समय शीतकालीन अधिवेशन न बुलाकर हमारी नियमावली की खुली अवहेलना की है और यह जो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी कराए गये हैं, ये राज्यपाल को जो विधायी शक्तियां दी गयी हैं, उनका खुला दुरुपयोग किया गया है। मान्यवर, जो अध्यादेश जारी हुए हैं, वे सदन के पटल पर अवश्य रखे जायं, लेकिन आप सरकार को यह निर्देश दें कि राज्यपाल महोदय को जो शक्तियां असाधारण परिस्थितियों में कार्य करने के लिये दी गयी हैं, उनका इस्तेमाल ये हमारी, आपकी और सदन की अवहेलना करने में न किया करें।

मान्यवर, इस सरकार की करनी और कथनी में कहीं भी किसी तरह का साम्य नहीं है। हमें निरनुमोदन का अधिकार तब ही मिलेगा, जब यह सरकार इन आर्डिनेंसेस के बारे में यहां पर बिल लाये। अगर यह इसके स्थान पर संशोधन बिल नहीं लाते हैं, तो हमारा जो निरनुमोदन के प्रस्ताव का अधिकार है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। सरकार का जो आचरण हो गया है, उसको देखते हुए सरकार को निदेश दें कि इस तरह से विधायी शक्तियों का दुरुपयोग जो महामहिम राज्यपाल से कराते हैं, वह आगे न हो सके। आर्डिनेंसेस को पटल पर रखने के साथ-साथ संशोधन विधेयकों को भी रखें ताकि उस पर जो हमारा निरनुमोदन का प्रस्ताव रखने का अधिकार है, उससे वंचित न हों। मान्यवर, हो सकता है, इसे आज पटल पर रखकर पूरा करा लें बाद में संशोधन विधेयक ही न लायें। इस तरह से आर्डिनेंसेस को गलत तरीके से जो जारी करने का काम सरकार ने किया है, उसकी आलोचना के अधिकार से हम वंचित रह जायेंगे। इस व्यवस्था के प्रश्न के रूप में मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें और नियमावली की पवित्रता को बनाये रखने का प्रयास करें। सरकार महामहिम राज्यपाल के अधिकारों का जिस तरह से दुरुपयोग करती है, उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास हो।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के अंतर्गत यह लाजिमी है कि आर्डिनेंसेस व विधेयक सदन के पटल किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं

पर सत्र की शुरुआत में रखे जायं। अगर आप समझते हैं कि कोई बिल या आर्डिनेंस आपके विचारों के विपरीत है तो आप उसको उठा सकते हैं।

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मान्यवर, पुनर्स्थापना नहीं हो रहा है, यह तो केवल रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के अंतर्गत यह लाजिमी है कि उसको पटल पर रखा जाय।

शामली में घटित घटना के संबंध में जानकारी की मांग (जारी)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, आपसे मेरा अनुरोध है कि नियमों को निलम्बित करने की कृपा करें। शामली में गंभीर घटना हुई है, सदन में उस पर कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 लोग मर गये, कुछ कह रहे हैं 2 लोग मरे। कई अधिकारियों को चोटें आयीं। आम जनता के सैकड़ों लोग घायल हो गये। बिजली जैसी आवश्यक चीज को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें यह गंभीर बात आ गयी। हम लोग चिंतित हैं, सारे यहां के माननीय सदस्य गंभीर चिंता में फंसे हुए हैं कि वहां की हालत क्या है। कर्फ्यू लगा है, पुलिस जुल्म, अत्याचार हो रहा है लोगों का खाना-पीना बंद है, कई लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को अवगत करायें कि शामली की घटना क्या है, क्यों हुई और इस समय वहां स्थिति क्या है?

श्री अध्यक्ष–

जब एजेंडा खत्म हो जाता, तब आप यह उठाते, तो मुनासिब होता।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री किरनपाल सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री किरन पाल सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष –

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर जाने पर)

श्री अध्यक्ष –

श्री शतरुद्र प्रकाश जी, आप बैठ जायं। यदि आपको बोलने दूंगा तो उन्हें भी बोलने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी। इसलिए आप बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1986†

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(माननीय, नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह के खड़े होने पर)

(शोर/व्यवधान)

शामली में घटित घटना के संबंध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से दूसरे माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं आपसे इजाजत मांगते हैं तो आप उन्हें इजाजत दे देते हैं परन्तु न मालूम इधर बैठे लोगों को इजाजत देने में आपको क्या कष्ट होता है। मेरा बहुत ही साफ और सादा सवाल है कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो प्रश्न उठाया है हम सब यह मानकर चलते हैं कि यह सदन पहले जनता के लिए है और जनता की जिन्दगी उनकी जान माल की हिफाजत के लिए है । यह सारे अध्यादेश जो आज यहां पेश हो रहे हैं, ये सब जमीन पर रहने वाली उस जनता के लिए हैं जिनके हूकूक की हिफाजत के लिए यह सदन है । लेकिन आज आतंक है, इन्साफ नहीं है, इस जमीन पर कानून-व्यवस्था नहीं है, इन्सानी जिन्दगी की कोई कीमत नहीं है और इन्सानों को बेवजह मारा जा रहा है तो फिर इस अध्यादेश और इस सदन की कोई जरूरत नहीं है । लिहाजा इस सदन में किसी अध्यादेश को पेश होने से पहले इसकी यह जिम्मेदारी है क्योंकि हम उनके अधिकारों की हिफाजत के लिये यहां बैठे हैं। शामली में जो हुआ है, जिस तरह बेगुनाह लोगों को मारा है, प्रदेश का यह हिस्सा इन्साफ से महरूम है । जब तक इन्साफ नहीं मिल जाता और मुख्यमंत्री स्थिति नहीं बता देते, हमारा यह अधिकार बनता है, मुख्यमंत्री हमको ही नहीं पूरे प्रदेश को यह बतायें कि उन्होंने क्या किया है और जनता के साथ क्या हुआ है । मैं इस पर बल देते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मेरा अनुरोध है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने व किरन पाल सिंह जी ने शामली की घटना के बारे में जो कहा है और सारे सदस्य चिन्तित हैं क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और नरसंहार हुआ है । इस समय नेता, सदन भी जब सदन में मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कि वहां की स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या कार्यवाही हो रही है, क्या कार्यवाही की है और कितना नरसंहार हुआ है तथा क्या स्थिति है ? अगर वे स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं तो इससे विरोध पक्ष के विधायकों के रोष को शान्त होने में मदद मिलेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

पूरा प्रदेश इस समय, जैसा माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि शामली में बिजली न मिलने से किसानों ने प्रदर्शन किया, गोली चली और लोग मारे गये,

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे चिन्तित है । पूरे प्रदेश में ऐसी विषम स्थिति बन गयी है कि बिजली न मिलने से रबी की बुआई नहीं हो पा रही है । मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को निर्देश दें कि कल या आज ही यदि तथ्य उपलब्ध हों, तो सदन को अवगत करायें कि प्रदेश में बिजली की स्थिति खराब होने का क्या कारण है ?

*श्री किरन पाल सिंह–

अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की शामली की घटना के बारे में । जो सरकार का यह आये दिन नरसंहार करने का षडयंत्र है, यह आम घटनाओं से अलग गम्भीर घटना है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली घटना है कि जब किसान अपनी मांगों को लेकर शान्तिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने बिना चेतावनी दिये किसानों पर गोली चलायी । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास-तौर से जानकारी है कि सरकार का आदेश 8-10 घण्टे का जाता है लेकिन 1-2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली सिंचाई के लिये नहीं मिलती इसके अलावा बिजली के दाम बढ़ा दिये हैं । ऐसी हालत में जब किसानों की फसल जल रही है, किसान बिजली के दफ्तर जाता है, वहां किसानों की कोई बात नहीं सुनता है । जब किसान आन्दोलन करता है, सरकारी पक्ष से किसानों से बात करने के लिये कोई मंत्री कोई सरकारी पक्ष का प्रतिनिधि तैयार नहीं होता है चाहे गन्ना मूल्य के लिये आन्दोलन हो या बिजली की कमी की बात हो या गेहूं के मूल्य का सवाल हो । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सभी ग्रुपों से सरकार बात करती है लेकिन किसानों से बात नहीं करती है । पुलिस ने सीधे-साधे किसानों पर जो कि शान्तिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोली चलवायी, 3 किसान मौके पर मारे गये, कई किसान गायब हैं, किसानों को पी0 ए0 सी0 ने कमरों में बन्द कर रखा है सारे पश्चिमी जिले बुलन्दशहर, मेरठ कमिश्नरी, आगरा कमिश्नरी के जिले सभी जगह के किसान इससे आन्दोलित हैं। जब तक मुख्यमंत्री जी खड़े होकर इस बारे में नहीं बतायेंगे, यह सदन नहीं चलेगा । मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस पर जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष–

एजेण्डा के बाद, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि.....

(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मुझे आप दो मिनट सुन लें कि बुलन्दशहर में जो कुछ हुआ है और शामली, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है वह अत्यन्त हृदयविदारक घटना है । सरकार का किसानों के साथ जो अपमानकारी रवैया चल रहा है वह शामली की घटना उसकी प्रतीक है । बिजली के मामले को लेकर किसान शान्तिपूर्वक अपना आन्दोलन कर रहे थे, सरकार से अपेक्षा थी कि वह इस समस्या का हल निकालेगी या यह तरीका अपनायेगी कि जो लोग अपनी मांग को लेकर आयेंगे उन्हें गोलियों से भून दिया जायेगा । जिन गोलियों की आग में सरकार किसानों को भून रही है, आगे उसी आग में सरकार को भी घुसना पड़ेगा । 6 मार्च, को पूरे उत्तर प्रदेश के किसान यहां विधान सभा के सामने आ रहे हैं । सरकार का यह रवैया निन्दनीय है । शामली के मामले को लेकर मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि किसानों के साथ इस सरकार के द्वारा अमानुषिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत्याचार किया गया है । अगर कोई शर्मदार मुख्य मंत्री होता उत्तर प्रदेश में तो वह इस घटना पर तुरन्त अपना त्याग-पत्र दे देता । मैं मुख्य मंत्री से उनके त्याग-पत्र की इस संबंध में मांग करता हूं ।

यह ठीक है कि इस बात की नियमों में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब घटना अविलम्बनीय लोकमहत्व की है तो आप नियमों को शिथिल करके शासन को निर्देशित करने की कृपा करें कि इस संबंध में जो भी जानकारी शासन के पास हो उससे सदन को अवगत कराने की कृपा करें । अगर ये बहाना लेते हैं कि अभी सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि यह सरकार संवेदनाहीन और हृदयहीन है, जो इसके पास कोई सूचना नहीं है । क्योंकि इतने अन्तराल के बाद सरकार के पास पूरी जानकारी न होना इस बात का सबूत होगा । इसलिये मैं मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि इस पूरे मामले से वह सदन को अवगत कराने की कृपा करे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुख्य मंत्री इस बात को साफ करें क्योंकि यह कोई मामूली मामला नहीं है । निर्दोष किसान बिजली की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे । सरकार को उन्हें दस घण्टे बिजली देना चाहिये जो कि उन्हें नहीं दी जा रही है। उन्होंने जायज मांग की है उसके बाद उन पर गोली चले और सामूहिक हत्या की जाय तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि नेता सदन यहां स्थिति को साफ करें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अगर आप चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित रूप से चले तो आप मुख्य मंत्री से शामली की घटना के बारे में स्पष्टीकरण दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आज जो कार्यसूची मिली है आप उसके अनुसार चलेंगे, किसी नियम के अनुसार चलेंगे या जो बात ये कह रहे हैं उसके अनुसार सदन चलायेंगे ? अगर सदन कार्यसूची के अनुसार चलेगा तो ठीक है और अगर इनके निर्देशों पर चलेगा तो यह बात पहले तय हो जानी चाहिये । क्या इन लोगों के कहने से सदन चलेगा, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सदन उठने से पहले स्थिति स्पष्ट कर दें ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

पहले इस पर बयान हो ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

इसी पर पहले स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई तरीका नहीं है। यह सदन की परम्परा में नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय मुख्य मंत्री जी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं इसके विरोध में हम लोकदल के सदस्य बाहर जा रहे हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव कुछ सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जैसा विरोधी दल के नेताओं ने कहा है सरकार हर स्थिति को बताने के लिये तैयार है लेकिन जैसा आपने कहा यह एजेन्डा खत्म होने के बाद तुरन्त मैं स्थिति स्पष्ट करने के लिये तैयार हूं ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय मुख्य मंत्री जी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे है जो वहां पर स्थिति चल रही है वह स्पष्ट होनी चाहिये इसलिये इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार की इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ हम अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1986†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1987†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1987†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

नगर महापालिका, गोरखपुर चुंगी नियमावली, 1985††

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग–9 की अधिसूचना संख्या 8636-बी/11-9-85-जी-4 (5)-83, दिनांक 24 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित नगर महापालिका, गोरखपुर चुंगी नियमावली, 1985 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 5 सितम्बर, 1986 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी।

सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1986††

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 7423-बी/33-2-37 ए0 क्यू0/86-यू0 पी0 ए0-33-1961 संशोधन (12)-1986 दिनांक 26 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित प्रदेश जिला परिषद् सेवा (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1986 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, 1982-83†

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1982-83 को कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986††

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5352/दस-3 (1)-75-एक्ट 74-56 नियम 57 संशो0(प्रथम) 1986, दिनांक 1 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिकीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां††

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 12 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट में प्रकाशित :–

(1) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6561/एस-6 (8)-85 उ0प्र0 अधि0 15/48 आदेश-86, दिनांक 12 सितम्बर 1986,

(2) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2-6562/दस-6 (8)-85-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-86, दिनांक 12 सितम्बर, 1986,

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0/टी0–2-6563/दस-6 (8)-85-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-86, दिनांक 12 सितम्बर, 1986,

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

(4) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6564/दस-6 (8)-85-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-86, दिनांक 12 सितम्बर, 1986 एवं

(5) दिनांक 1 जनवरी, 1987 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7419/दस-9(169) 83-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-87, दिनांक 1 जनवरी, 1987 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 में किये शाब्दिक संशोधन का विवरण†

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुज्ञा से मैं **उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के** नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 34 पर)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं **उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के** नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986, जो **विधान सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1986** को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 10 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986, जो विधान सभा द्वारा 19 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 22 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986, जो विधान सभा द्वारा 9 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 22 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 20 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियगन (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 22वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निर्मूलन) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश

मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 अक्टूबर, 1986 को प्राप्त हो गयी और सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 23 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 28 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 24 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय को अनुमति दिनांक 1 दिसम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 25वां अधिनियम बन गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 1987 की बैठक में सदन के दिनांक 2 मार्च, 1987 से आरम्भ होने वाले सत्र के कार्यक्रम के संबंध में सिफारिश की है कि:–

1–दिनांक 3 मार्च, 1987 को प्रश्नकाल न हो और उस दिन केवल निधन के निर्देश हों,

2–सदन का उपवेशन दिनांक 11 मार्च, 1987 को भी हो, और तदनुसार सदन का दिनांक 2 मार्च, 1987 से दिनांक 11 मार्च, 1987 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:–

मार्च, 1987	
2 सोमवार	12·30 बजे अपराह्न 1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना। 2–औपचारिक कार्य।

3 मंगलवार	निधन के निर्देश
4 बुधवार	5 बजे अपराह्न तक श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन) 5 बजे अपराह्न से– 1–उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण। 2–''कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति'' के स्थान पर ''कृषि'' तथा ''पशुपालन'' की अलग-अलग स्थायी समितियों का गठन किये जाने संबंधी संकल्प का संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं उसका पारण।
5 गुरुवार	5 बजे अपराह्न तक श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (दूसरा दिन) 5 बजे अपराह्न से– उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण।
6 शुक्रवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन)
7 शनिवार 8 रविवार	बैठक नहीं होगी।
9 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चौथा एवं अंतिम दिन) 5 बजे अपराह्न– वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।
10 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पु:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 5 बजे अपराह्न– 1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण। 2–लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
11 बुधवार	आधा दिन– असरकारी कार्य (संकल्प) शेष आधा दिन– सरकारी विधायी कार्य।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना सदन को दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

1 मिनट आप बैठ जायं, मैंने कहा था कि आखिर में माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को जानकारी देंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह–

उसके बाद मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

शामली में घटित घटना के संबंध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी विरोधी दल के नेताओं ने शामली में अभी जो घटना घटित हुई है, उसके संबंध में कुछ जानकारी चाही है । भारतीय किसान यूनियन नाम के एक संगठन ने यह घोषणा किया था कि 1 मार्च, 1987 को शामली में घेराव और चक्का जाम करेंगे । इसकी तैयारी काफी उन्होंने की थी । इसके लिए पुलिस ने प्रयास किया और जगह-जगह पर चेक पोस्ट बनाई ताकि ज्यादा लोग वहां इकट्ठा न हो सकें और कोई घटना न घटित हो । मान्यवर, वहां पर चेक पोस्ट होते हुए, चेक पोस्ट तोड़कर के काफी लोग आगे बढ़े । मेरठ जिले के रमाला, बड़ौत और दोघट थानों से बग्गी, ट्रैक्टर और ट्राली में भरकर लोग आए । जिला प्रशासन ने इनको रोकने का प्रयास किया । बड़ौत रोड के चेक पोस्ट पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तितर-बितर किया । बाद में उन्होंने बच्चों और स्त्रियों को आगे किया और बढ़ते चले गए । आन्दोलनकारियों द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जिस तरह से हो वह वहां पर पहुंच जायं । प्रशासन ने कोशिश की कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न होने पाए । लेकिन एक स्थान पर पी0 ए0 सी0 की एक टुकड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया तब उन्होंने आत्म-रक्षार्थ गोली चलाई जिससे दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । इसी बीच पुलिस की घेराबन्दी तोड़कर हजारों व्यक्ति शामली के बिजली स्टेशन पर पहुंच गए और वहां ईंट पत्थर आदि से पुलिस के लोगों पर हमला किया जिससे एक सूबेदार (पी0 ए0 सी0) को चोट लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

आन्दोलनकारियों ने एक फायर ब्रिगेड, पुलिस की 8 गाड़ियों को क्षति पहुंचाई । अनेक पुलिस कर्मी घायल हुए उनमें से 3 की दशा अत्यन्त गम्भीर बताई जाती है । 3 सर्किल अफसर, 2 मजिस्ट्रेट और 8 सब-इन्सपेक्टर तथा 20 सिपाही घायल हुए । रात को यहां से गृह मंत्री, श्रम मंत्री और हमारे संसदीय राज्य मंत्री, हुकुम सिंह जो उस एरिया के रहने वाले हैं, मैंने यहां से भेजा । हमारे बिजली के अधिकारी वहां गए और पुलिस के अधिकारी गए और वहां पर जाकर वह बातचीत कर रहे हैं ताकि इस तरह की बात आगे न बढ़ने पाए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली जितनी है उतनी ही मिलेगी, अगर बिजली नहीं है, जनरेशन कम है तो कैसे हम 24 घंटे बिजली दे सकते हैं ? किसी सरकार ने, चाहे कोई सरकार रही हो, जब इनकी सरकार थी तो 24 घंटे इन्होंने बिजली नहीं दी । जब बिजली 24 घंटे देने के लिये नहीं है और वह मांग करें कि 24 घंटे दी जाय, उचित नहीं है । सब चीजों का खर्च बढ़ता चला जा रहा है । लेकिन बिजली का रेट न बढ़ने पाये । मान्यवर, जानबूझकर कोई अव्यवस्था पैदा करता है, तो यह तो अच्छी बात नहीं है। कोई मांग शांतिपूर्ण ढंग से की जा सकती है। लेकिन हिंसात्मक ढ़ंग से, हमला करके, तोड़-फोड़ करके, घेराव करके कोई मांग रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसकी जांच कराऊंगा । जो भी इसमें दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, जो लोग एसी बातों को जस्टीफाई करके बढ़ावा देना चाहते हैं, वह अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि एसी बातों को बढ़ाया न जाय। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की आवश्यकता है।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, यह किसानों की समस्या है। इसे माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि यह सरकार कोई भी बात शांतिपूर्ण ढंग से सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं सुनती है, जब तक कि पानी ऊपर नहीं बढ़ता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन व्याप्त है और आपके कर्मचारियों ने जिस समय आंदोलन किया, उस समय आप उसको नहीं सुलझा पाये। लेकिन जब सारा कार्य पेरालाइज हो गया, तब आप समझौता करने के लिए तैयार हो गये । मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि आपने जो यह कहा कि पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी को घेर लिया गया, यह बिलकुल असत्य है। अगर किसी ने एसा कदम उठाया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदन में वक्तव्य दिया है, उससे हम सब लोग दु:खी हैं। आज सवाल इस बात का नहीं है कि वहां के अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने क्यों गोली चला दी, उसका औचित्य क्या है ? आप यह कह रहे हैं कि बिजली जितनी है, उतनी ही देंगे। आपने घोषणा किया कि बिजली 10 घंटे अनवरत देंगे । आप पता कर लें कि 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जा रही है, और अगर बिजली नहीं जा रही है, तो आप किसानों पर लाठी चलवायेंगे ? आप जनता के लिए उत्तरदायी हैं, आप अफसरों के लिए, उत्तरदायी हैं । उसकी रबी की फसल तैयार है और सूख रही है, और सरकार का यह जवाब देना कि बिजली नहीं है, यह शर्म की बात है। यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी । यह व्यवस्था आप चाहे जहां से करें । शहर की बिजली बन्द कर दें। कारखानों की बिजली बन्द कर दें, लेकिन किसानों को बिजली दें। अगर कोई भी सरकार एसी बात कहती है कि बिजली नहीं है, तो इससे ज्यादा और शर्म की बात कोई नहीं हो सकती । आप आज ही घोषणा करें कि 10 घंटे किसानों को अनवरत बिजली देंगे। लेकिन यह कहना कि बिजली नहीं है, हम बिजली नहीं दे सकते, यह बड़े दु:ख की बात है। यह सरकार के लिए शर्म की बात है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आपको भी समय मिलेगा।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये राजेन्द्र सिंह जी खड़े हैं। मैं आपको भी मौका दूंगा।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं पहली बार बोलने जा रहा हूं। पहले मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठ जांय।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो तथ्य मुख्यमंत्री जी ने रखे हैं उसमें बिजली की कटौती का जिक्र किया है। यह भी संघर्ष समिति की मांगों में था। एक मांग उनकी यह थी कि हम 30 रुपये की बिजली दर न देकर साढ़े बाइस रुपये देंगे और इसके लिए उनका एक प्रतिनिधि मंडल डी0एम0 से मिला था। डी0 एम0 ने कहा कि आप साढ़े बाइस रुपया जमा कर दीजिए। वह लोग इसके लिए तैयार हो गये और किसी संघर्ष की नौबत नहीं आई। इसी बीच जिलाधिकारी ने कहा कि हमने जो वायदा किया उसके लिए हम पाबन्द नहीं हैं, हमें प्रदेश सरकार से दूसरा निदेश मिला है। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी के बयान के 3 हिस्से हैं। एक तो संघर्ष समिति का एलान कि हम क्या करेंगे, दूसरा लोगों का चलना और उन्हें रोका जाना, तीसरा पुलिस और लोगों के बीच में झगड़ा होना। मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें यह तीनों चीजें इसी क्रम में मिलेंगी। लोग इकटठा हुए लोगों को रोका गया और जब लोग आगे बढ़े और पी0 ए0 सी0 की एक टुकड़ी को घेर लिया। आपने यह नहीं बताया कि पी0ए0सी0 के किसी जवान पर ईंट पत्थर फेंका गया, प्रोवोकेशन हुआ गोली चली या हमला हुआ। मान्यवर, 10-5 हजार की भीड़ होगी और पी0 ए0 सी0 लगी होगी तो वह उस भीड़ में एक किनारे लगे जायेगी कंट्रोल करेगी तो वह किस किस तरह से कर सकेगी, वहां आंसू गैस छोड़ी जानी चाहिए थी, हवाई फायरिंग होनी चाहिए थी।

अगर यह भी मान लिया जाय कि किसी खास हालत में गोली चली है तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि यह गोली उन लोगों पर चलायी जानी चाहिए थी जो लोग किसान थे, लेकिन मरने वालों में वह शख्स है जो रिक्शा चला रहा था। मान्यवर, यह सब योजनाबद्ध है। पूरे प्रदेश को, पूरे सदन को गुमराह किया गया है, मुख्यमंत्री ने सच्चाई को छिपाया है। मान्यवर, मेरी मांग है कि जो सरकार

अपने आपको किसानों का, गरीबों का, अल्पसख्यकों का मसीहा बताती है उसको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि गोली उसने चलायी जनतांत्रिक मूल्यों की मांग करने वालों पर यह सरकार क्या चलायेंगे जो बिजली नहीं देंगे और बिजली की व्यवस्था भी नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी एजेन्डा के बाद स्पष्टीकरण देंगें, वह आ गया । अब हम उठते है, कल 11 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः

2 मार्च, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये आगे पृष्ठ 7 पर)

माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के वर्ष 1987 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं । आपको सम्बोधित करते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है । इस वर्ष हमारे प्रदेश के कर्मठ नेता और विधान सभा सदस्य प्रोफेसर वासुदेव सिंह एवं श्री जय-राम वर्मा का निधन हो गया । दोनों ही इस प्रदेश के मंत्री रह चुके है और स्वतं-त्रता संग्राम सेनानी थे । प्रोफेसर वासुदेव सिंह विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं । दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसमें हम सबका यह दायित्व हो जाता है कि हम स्वयं तो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहें ही, साथ ही साथ जन-जन को उसके प्रति जागृत करें, ताकि हम सभी आपसी मतभेदों को भूल कर देश की एकता और अखंडता कायम रखने में मदद कर सकें और सरकार तथा जनता दोनों के प्रयास से आर्थिक तथा सामा-जिक प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार इस दिशा में हर सम्भव प्रयास कर रही है और इस राज्य को पूर्ण रूप से विकसित करने की दिशा में प्रयत्नशील रहेगी ।

राज्य में शान्ति-व्यवस्था कायम रखना और जनता के जान-माल तथा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा करना शासन का मूल कर्तव्य है । मेरी सरकार ने इन कर्तव्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है । अनुसूचित जाति और जन-जाति, अल्प-संख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये मेरी सरकार ने कटिबद्ध होकर दृढ़ता के साथ कार्य किया है । साम्प्रदा-यिकता पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए मेरी सरकार ने कई कदम उठाये हैं जिसके कारण और जनता के पूर्ण सहयोग के फलस्वरूप सभी महत्वपूर्ण त्योहार शांति-पूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए । अपराधों पर नियन्त्रण रखने हेतु सुनियोजित ढंग से कार्यवाही की गई । अपराध एवं अप-राधियों पर नियन्त्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये रेडियो संचार व्यव-स्था को आधुनिकतम और समयानुकूल बनाने की आवश्यकता है । पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिकतम बनाने के लिये मेरी सरकार द्वारा एक प्लानिंग ग्रुप का गठन किया गया था, जिसने अपनी संस्तुतियों में चार चरणों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिकतम बनाने का प्रस्ताव किया था । मेरी सर-कार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है । इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन से प्रदेश के समस्त थाने, चौकियों एवं वाहन आदि संचार व्यवस्था से सुसज्जित हो जायेंगे । पी0 ए0 सी0 की दो नयी वाहिनियां गठित की गई हैं। पुलिस भवनों का निर्माण शीघ्रता से कराये जाने के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम का गठन किया गया है और पुलिस कर्मियों के लिये आवासों के निर्माण की व्यवस्था तेजी से की जायगी। पुलिस कांस्टेबिलों तथा पुलिस उप-

निरीक्षकों की भर्ती में कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये दो प्रतिशत तक नियमित चयन प्रक्रिया से हट कर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है ।

मेरी सरकार स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और प्रशासन की गतिशीलता और कार्य-कुशलता में वृद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रही । भ्रष्टाचार की दृष्टि से अधिक संवेदनशील विभागों में शासन स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जायगी । शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिये शासन की ओर से समस्त अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये गये हैं और माह में एक बार जिलाधिकारी को जनता कचहरी आयोजित करने के लिये कहा गया है जिसमें जिले के समस्त अधिकारी भाग लें और जनता की शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाय । कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने प्रशिक्षण नीति का निर्धारण किया है जिसके अनुसार समस्त विभाग कार्यवाही करेंगे । समूह ग और घ के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है जो उन कर्मचारियों के लिये शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।

योजना आयोग ने वर्ष 1987-88 के लिये 2630 करोड़ रु0 की वार्षिक योजना इस प्रदेश के लिये अनुमोदित की है जो देश के अन्य बड़े प्रदेशों की योजना से भी काफी अधिक है। मेरी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 2 वर्षों तक की उपलब्धियां बहुत अच्छी रहीं जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। वर्ष 1987-88 सातवीं पंचवर्षीय योजना का तृतीय वर्ष होगा) इस अवधि में कृषि की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के निमित्त लघु एवं सीमांत कृषकों को उदार दर पर पर्याप्त मात्रा में कृषि निवेश उपलब्ध कराये जायेंगे । पूर्वी जिलों में चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आरम्भ किये गये पायलट कार्यक्रम से प्राप्त आशाप्रद परिणामों को देखते हुये उक्त कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जायगा । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जायगा । समाज के कमजोर वर्ग को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अनिवार्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुये उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को उठा कर उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की भी व्यवस्था की गई है।

मेरी सरकार निर्बल वर्ग को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के प्रति वचनबद्ध है। इस उद्देश्य से इस वर्ष भी कानूनी सहायता और परामर्श शिविरों एवं लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिसमें हजारों मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। पारिवारिक विवादों को आपसी सुलह और समझौता द्वारा तय कराने के उद्देश्य से तथा उनके शीघ्र विचारण एवं निस्तारण के लिए कानपुर और लखनऊ में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। आगामी वर्षों में अन्य जनपदों में भी पारिवारिक न्यायालय यथासमय गठित किये जायेंगे। लम्बित दीवानी व फौजदारी के वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु भी मेरी सरकार नये अतिरिक्त न्यायालय के गठन एवं कार्यरत न्यायालयों के पुनर्गठन पर विचार करेगी । न्यायिक अधिकारियों, विधि-

अधिकारियों तथा शासकीय अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उनके प्रशिक्षण के लिये तथा न्याय प्रशासन और विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिये भी एक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का लखनऊ में गठन किया गया है।

मेरी सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के प्रति कृत संकल्प है। वर्ष 1985-86 में उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय स्तर पर बीस-सूत्री कार्यक्रम में प्रथम स्थान पाने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भी सीलिंग भूमि के आवंटन, समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल व्यवस्था आवास स्थल आवंटन तथा वृक्षारोपण में वार्षिक लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हो चुकी है। हमारा प्रयास होगा कि हम इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूरे देश में अपना स्थान यथावत् बनाये रखें।

राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित को सदैव ध्यान में रखा है। इसी भावना से प्रेरित होकर कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत (कम से कम 80 रुपये तथा अधिकतम 350 रुपये) अन्तरिम सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। राज्य के कर्मचारियों एवं अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार की आवश्यकता को देखते हुये एक वेतन समिति गठित की गई है जो आर्थिक संसाधनों आदि को दृष्टिगत रखते हुए अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी।

प्रसन्नता का विषय है कि किसान भाइयों के अथक परिश्रम और सहयोग से तथा शासन के प्रयास से प्रदेश ने वर्ष 1985-86 में 313.38 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन करके पुनः एक नये कीर्तिमान की स्थापना की है। किसानों को नवीन कृषि तकनीक उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना प्रदेश के 16 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में यह योजना प्रदेश के 5 और जिलों में लागू की जायगी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में इटली सरकार के सहयोग से जैतून एवं अन्य गिरीदार फलों के विकास हेतु एक परियोजना 2.41 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है। कृषि उत्पाद के विपणन की समुचित व्यवस्था, सुविधा और वृद्धि के लिये निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। इस प्रदेश में भूमि कटाव, क्षारीयता एवं लवणीयता, बीहड़ एवं जल भराव की समस्या बड़े पैमाने पर विद्यमान है जिनका निदान करने के लिये व्यापक स्तर पर भूमि एवं जल संरक्षण तथा ऊसर सुधार का कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 1987-88 में 1.09 लाख हैक्टेयर कटावग्रस्त भूमि और 0.25 लाख हैक्टेयर ऊसर भूमि के उपचार का लक्ष्य है। बीहड़ भूमि की समस्या के निराकरण हेतु यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से चम्बल एवं यमुना नदियों के जलागम क्षेत्र में बीहड़ भूमि के सुधार हेतु एक वृहत् कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है।

गन्ना हमारे प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। गन्ना विकास और चीनी उद्योग के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण प्रदेश में कृषि और औद्योगिक विकास की समग्रता को ध्यान में रखते हुये किया जाता है। पेराई सत्र 1985-86 में गन्ने की चीनी मिलों में पेराई करके 16.48 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया जो इससे पूर्व के वर्ष की अपेक्षा 11.5 प्रतिशत अधिक था। प्रदेश में खांडसारी नीति को भी पूर्व वर्ष की भांति उदार रखा गया। मेरी सरकार गन्ना उत्पादकों को

उनके उत्पाद का मूल्य चीनी मिलों से शीघ्रातिशीघ्र दिलाये जाने के लिए भी बराबर प्रयत्नशील रही है। वर्ष 1985-86 में गन्ना उत्पादकों को देय 399.91 करोड़ रुपये में से 31 दिसम्बर तक 397.08 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है जो कुल देय धनराशि का लगभग 99.29 प्रतिशत है। गन्ना किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलता रहे इस उद्देश्य से पेराई सत्र 1986-87 के लिए पश्चिम क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र में 25 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूर्वी क्षेत्र में 24 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य का भुगतान करने का परामर्श चीनी मिलें को दिया गया है।

प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में रहती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने, लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता, महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान के लिये मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है और अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। वर्ष 1986-87 में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 1986 तक 3.07 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और वर्ष 1987-1988 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6.43 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हरिजन पेयजल योजना तथा निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाये रखने के उद्देश्य से गांव पंचायतों के माध्यम से सुलभ और स्वच्छ शौचालयों को बनवाये जाने का एक मौलिक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें यूनीसेफ का भी विशिष्ट योगदान रहेगा। पंचायत उद्योग द्वारा चालू वर्ष 1986-87 में 434.26 लाख रुपये के उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, खानाबदोश जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की आवश्यकता के प्रति सजग है। दशम् पूर्व कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की जायगी। आगामी वर्ष में 4 नये आश्रम पद्धति विद्यालयों का पिछड़े क्षेत्रों में निर्माण कराये जाने की योजना है। स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 3.5 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया था। माह दिसम्बर, 1986 तक 2.24 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1987-88 में भी 3.5 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

प्रदेश के निवासियों की सुविधा और निर्बल वर्ग के लोगों के स्तर में सुधार लाने के लिए राजस्व प्रशासन के सुधार के प्रति मेरी सरकार कृत संकल्प है। समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को जीविकोपार्जन हेतु भूमि आवंटित करने के प्रयोजनार्थ सीलिंग कानून को कारगर ढंग से लागू करने के लिए परगनाधिकारियों के स्थान पर कलेक्टर/अपर कलेक्टर को नियत

प्राधिकारी बना दिया गया है। प्रशासन क्षमता में वृद्धि हेतु प्रदेश में नई 12 तहसीलें और एक उप तहसील सृजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। नागर क्षेत्रों में स्थित अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने के लिए मेरी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में दिसम्बर माह तक लगभग 62,000 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं जो कि पूरे वर्ष के लक्ष्य से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत आवण्टी परिवारों में आधे से अधिक परिवार अनुसूचित जाति और जन-जाति के हैं।

अनाज और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं समाज के सभी वर्गों विशेषकर पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने और साथ ही किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाये जाने के लिए मेरी सरकार सतत् प्रयत्न करती रही है। सस्ते गल्ले की चार हजार नयी दुकानें खोलने का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में रखा गया है। इसमें से 2,740 दूकानें दिसम्बर, 1986 तक खोली जा चुकी थीं। प्रदेश में चीनी मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा और कोयला सरलता से उपलब्ध है और प्रदेश के किसी भाग में इन वस्तुओं की कमी नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अपने उत्पाद कम मूल्य पर न बेचने पड़ें, मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं, धान और चावल के न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये गये थे। यह प्रसन्नता की बात है कि इन वस्तुओं के बाजार भाव साधारणतः समर्थन मूल्य से ऊपर ही रहे। इस वर्ष बासमती चावल पर से लेवी हटा ली गई है। चावल पर अग्रिम लेवी स्वीकार करने की सुविधा दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि चालू खरीद साल में भारतीय खाद्य निगम जो चावल केन्द्रीय पूल के लिए अस्वीकार कर देगा उसका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार किया जायगा कि सरकार को हानि न हो। उपभोक्ताओं को जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी से बचाने की दिशा में भी मेरी सरकार सजग है और इन पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़तापूर्वक कदम उठाये गये हैं। विभिन्न स्तरों पर समितियां बनाई गई हैं और एक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के औद्योगिक एवं कृषि विकास में सिंचाई साधनों का विशिष्ट योगदान रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार ने सप्तम पंचवर्षीय योजना की संरचना इस प्रकार की है कि जिससे निर्माणाधीन योजनायें शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो जायं और सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। नहरों की सफाई को सन्तोषप्रद रूप से पूरा करने तथा आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपखण्ड के स्तर पर अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं की सम्मिलित समितियां गठित की गयी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में जिन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव है उनमें शहजाद बांध, सुहेली, आखला बैराज, अलीगंज, कैन नहर का पुनरोद्धार, उमरहट पम्प नहर, चित्तौड़गढ़ जलाशय, आँगासी पम्प नहर एवं फर्रुखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को पूरा करने

का प्रयास किया जायगा जिनसे 1.16 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होने का अनुमान है ।

ग्रामीण अंचल की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में सहकारिता आन्दोलन का प्रमुख स्थान है। प्रदेश में इस समय लगभग 8,600 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं जिनकी सदस्य संख्या लगभग 111 लाख है। इनमें से लगभग 72 लाख व्यक्ति निर्बल वर्ग के है। इन समितियों को अधिक सुदृढ़ और उपयोगी बनाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। सहकारी आन्दोलन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था की जायगी तथा स्थापित संस्थान को और अधिक गतिशील बनाया जायगा।

मेरी सरकार प्रदेश में इमारती लकड़ी, ईंधन, चारे आदि की कमी को दूर करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण कार्यक्रम को तेजी से चला रही है। परती भूमि में वनीकरण के कार्यक्रम में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए किसान पौधालय, स्कूल पौधालय और वृक्ष पट्टा योजनायें चलायी जा रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए 1,000 मीटर से ऊंचे क्षेत्र में वनों के विदोहन पर प्रतिबन्ध जारी रखा गया है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस वर्ष अस्कोट, हस्तिनापुर और सोनानदी नामक 3 पशु बिहारों की स्थापना की गई है। वन्य जीवों के शिकार पर लगे प्रतिबन्ध को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आम जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अक्टूबर-नवम्बर, 1986 में प्रदेश व्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुधन की प्रमुख भूमिका है। इसलिए मेरी सरकार पशुपालन कार्यक्रम को विशेष महत्व देते हुए ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर जनता को पौष्टिक पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मांस, आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके एवं साथ ही ग्रामीण जनता की आर्थिक दशा में सुधार हो सके। पशुओं की सही चिकित्सा व रोग नियंत्रण की सुविधायें समय-समय पर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में इस समय 1535 पशु चिकित्सालय और 2782 पशुसेवा केन्द्र कार्यरत हैं। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए नवीन वैक्सीन बनाने और प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में एक जैविक औषधि उत्पादन शाखा की स्थापना की जा रही है। ऐसी एक शाखा की स्थापना पर्वतीय क्षेत्र में भी प्रस्तावित है।

विभिन्न करों और स्रोतों से मेरी सरकार को होने वाली आय में बिक्रीकर का प्रमुख योगदान है । इसीलिए जहां एक ओर ईमानदार एवं सही व्यापारियों को आसानी से कर जमा करने की व्यवस्था के सरलीकरण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर राजस्व की हानि से बचने के लिए करापवंचकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है ।

विभिन्न संस्थागत वित्तीय सोतों से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करने के प्रयास के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत नवम्बर तक 852.96 करोड़ रुपये का

संस्थागत वित्त स्वीकृत कराया गया । नाबार्ड से कृषि तथा अन्य कार्य-कलापों हेतु सहकारी वर्ष 1985-86 में लगभग 169 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त कर प्रदेश ने सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

मेरी सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण की गति को बढ़ावा देकर औद्योगिक क्षेत्र में देश में अपना प्रमुख स्थान बनाने का निरन्तर प्रयास कर रही है । वर्ष 1987 को विकास वर्ष घोषित किया गया है । इस वर्ष औद्योगिक अवस्थापना को और भी प्रभावी बनाया जायगा और वर्ष 1990 तक के लिए अग्रिम नियोजन किया जायगा । वृहत् एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना काल में 2170 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित हो चुकी है। सातवीं योजना काल में वृहत् उद्योग क्षेत्र में 7500 करोड़ रुपये के पूंजी विनियोजन का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की वित्तीय संस्थाएं यथा पिकप और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । सिंथेटिक धागे, केबिल्स, टेलीकम्युनिकेशन केबिल्स फ्लोट ग्लास, वाणिज्यिक वाहन, स्कूटर, पालिएस्टर फिल्म्स तथा चिप्स के उत्पादन हेतु वृहत् स्तर की इकाइयां प्रदेश में लगायी जा रही हैं । खाद के बड़े-बड़े कारखाने भी लगाये जा रहे हैं ।

इलेक्ट्रानिक उद्योग में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इलेक्ट्रानिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर देने का लक्ष्य है । इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा कलर पिक्चर ट्यूब का उत्पादन करने वाली एक वृहत् इकाई साहिबाबाद में स्थापित की गयी है।

प्रदेश के विकास में लघु उद्योगों के विशेष महत्व तथा अधिक रोजगार सृजन के निमित्त इनकी क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक मिनी औद्योगिक आस्थान के लक्ष्य के विपरीत चालू वर्ष में 175 ऐसे आस्थानों का निर्माण कराया जा रहा है । आगामी वर्ष में 20 हजार लघु औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त लगभग इतनी ही संख्या में खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य है जिनसे लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । खादी बोर्ड द्वारा प्रदेश के समस्त बारह मण्डलों में ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित एक-एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण औद्योगीकरण के अन्तर्गत मुख्य रूप से कृषि पर आधारित एवं खाद्य उद्योगों की स्थापना करायी जायगी । हथकरघा बुनकरों की सुविधा हेतु कार्यशालायुक्त आवास तथा मितव्ययिता निधि (थ्रिफ्ट फण्ड) एवं हथकरघा आधुनिकीकरण की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा हस्तशिल्पियों की सुविधा की दृष्टि से निर्यात निगम, चर्म निगम तथा बाइसवेयर निगम द्वारा विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

राज्य के आर्थिक विकास में ऊर्जा का महत्व सर्वविदित है । यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिष्ठापित इकाइयों से अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन हो और संसाधनों की उपलब्धि के अधीन नई इकाइयों की स्थापना की जाय । अनपरा-ए तापीय परियोजना की तीसरी इकाई और ऊंचाहार तथा टाण्डा तापीय परियोजनाओं की एक-एक इकाई द्वारा 530 मेगावाट की और अधिष्ठापित क्षमता सृजित किये

जाने का लक्ष्य रखा गया है । हाल में ही भारत सरकार और रूस के मध्य एक समझौता हुआ है जिसके अधीन 2,400 मेगावाट की टिहरी-कोटेश्वर जल-विद्युत् परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त लघु-विद्युत् परियोजनाओं के सर्वेक्षण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है । अगले वित्तीय वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाये जाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत विद्युत् उत्पादन में सुधार एवं विद्युत् वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्मिलित हैं ।

मेरी सरकार का यह प्रयास रहा है कि औद्योगिक सम्बन्धों में स्थिति अच्छी रहे ताकि प्रदेश के औद्योगिक विकास में व्यवधान न हो। जहां वर्ष 1985 के प्रथम नौ महीनों में छः लाख मानव दिवसों की हानि हुई थी वहां वर्ष 1986 के प्रथम नौ महीनों में केवल तीन लाख 74 हजार मानव दिवसों की हानि हुई है । प्रदेश में 46 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जा चुका है ।

समग्र आर्थिक विकास के लिए मेरी सरकार सड़कों और पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है । इस वर्ष 4,500 किलो मीटर नई सड़कों का निर्माण और 181 नये पुलों का निर्माण पूरा हो जाने की सम्भावना है । इस वर्ष बौद्ध तीर्थ स्थल को जोड़ने वाले मार्गों के सुधार तथा दस्यु पीड़ित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों और पुलों के निर्माण पर बल दिया जायगा ।

सड़क परिवहन सेवाओं की विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये मेरी सरकार उसमें सुधार के लिये विशेष ध्यान दे रही है और अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये है । अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर जनता की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करते हुये यात्री बसों के लिये अनुज्ञा-पत्रों में वृद्धि करने, वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम, मार्ग सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने, वाहनों को उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्रवर्तन कार्य को अधिक संगठित व जन आशानुकूल बनाने, करों की वसूली में सरलता लाने तथा करों की अपवंचना रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं । राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाओं को और अधिक लाभप्रद व उपयोगी बनाने के उद्देश्य से तमिलनाडु की बहुचर्चित व दक्ष पल्लवन प्रणाली कानपुर, लखनऊ, बरेली तथा फैजाबाद सम्भागों में गत जनवरी माह से अपनाई जा रही है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा 900 बस चैसिस खरीदी जा चुकी हैं ।

हमारे प्रदेश में प्राकृतिक सौन्दर्य और ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थान होने के कारण पर्यटन की असीमित सम्भावनाएं हैं । आर्थिक दृष्टि से भी पर्यटन का विशेष महत्व है। पर्यटकों के ठहरने के लिये होटल उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेरी सरकार ने प्रदेश में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में, पर्यटक आवास-गृह, यात्री शेड आदि का निर्माण कराया है । पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्न, मध्यम और उच्च आय वर्ग सभी की सुविधाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में शीतकालीन क्रीड़ा के अन्तर्गत ओली में रोप-वे का निर्माण और ट्रैकिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों का क्रय किया जा रहा है । भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास के अन्तर्गत बौद्ध परिधि के लिए परियोजनायें स्वीकृत

की गई है । प्रदेश की कला एवं संस्कृति के विकास को गति देने और उसके प्रचार के लिये दिल्ली तथा मद्रास में "उत्तर प्रदेश पर्व" आयोजित किये गये ।

प्रदेश के पर्वतीय अंचल की विशेष समस्याएं है। इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यक्रमों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। वनों पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के विकास–जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस प्लान्ट के लिए प्राविधान किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन, परिवहन, संचार, लघु उद्योग तथा बागवानी पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

मेरी सरकार "सन् 2000 तक सबके लिये स्वास्थ्य" की राष्ट्रीय नीति के अनुसार आवश्यक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। सर्वसाधारण को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें सुगमता से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर ली गई है और स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत निर्धारित मानकों के काफी निकट उपलब्धियां प्राप्त हो गई है। यह इस कारण संभव हुआ कि सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रथम 2 वर्षों में 643 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3,500 नये उप केन्द्र खोले गये है ।

वर्ष 1985-86 में परिवार कल्याण के कार्यक्रम में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नसबंदी कार्यक्रम में 90.1 प्रतिशत और अन्य विधियों में मिलाकर 101 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की जिसके कारण राज्य को इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के 5 राज्यों के ग्रुप में प्रथम आने के फलस्वरूप भारत सरकार से 2.50 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है। परिवार कल्याण कार्यक्रम इस वर्ष भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को उपकरणों के क्रय हेतु जापान सरकार से लगभग 34 करोड़ रुपये की सहायता के अंतर्गत प्रथम चरण में 16 करोड़ रुपये के उपकरण तथा शेष उपकरण वर्ष 1987 के अंत तक उपलब्ध होने की आशा है।

मेरी सरकार नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे उत्पन्न होने वाली यातायात की समस्या और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के संबंध में जागरूक है। इसलिये यह प्रयास किया जा रहा है कि छोटे तथा मध्यम नगरों के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहन दिया जाय। मलिन बस्तियों के पर्यावरण को सुधारने की परियोजनायें प्रदेश के 56 नगरों में कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति योजना विश्व बैंक के पोषण हेतु प्रस्तावित है। प्रदेश के चयनित नगरों में नगरीय प्रबंध वित्तीय संसाधनों तथा नगरीय सेवाओं में सुधार किये जाने के लिये प्राथमिकता के अनुसार विश्व बैंक से पोषित कार्यक्रम द्वारा कम लागत के आधारभूत आवास (लो कास्टिंग कोर हाउसिंग), मलिन बस्ती उच्चीकरण (स्लम अपग्रेडिंग), क्षेत्रीय विकास (एरिया डेवलपमेन्ट), यातायात अभियंत्रण (ट्रैफिक इंजीनियरिंग) और प्रबंध (मैनेजमेंट) आदि कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने के प्रस्ताव है। बीससूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के नागर क्षेत्रों में समाज के निर्बल वर्ग के लिये वर्ष 1985-86 में 27,122 भवन निर्मित किये गये और चालू वित्तीय वर्ष में 24,000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य है।

मेरी सरकार राज्य की नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त जनता के लिए शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता सुविधायें शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। इस वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष में क्रमश: 16 तथा 15 नगरों में पेयजल सुविधा में सुधार किये जाने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्तर में सुधार और उसके प्रचार एवं प्रसार की दिशा में विशेष रूप से प्रयत्नशील है। प्राथमिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। जन सामान्य के सहयोग एवं उनकी सहभागिता प्राप्त किये जाने के दृष्टिकोण से बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समितियों को भी सक्रिय रूप से सम्मिलित किया गया है। समस्त शासकीय एवं अशासकीय मान्यता–प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक–अध्यापक एसोसियेशन के गठन हेतु अभिभावक–अध्यापक एसोसियेशन विनियमावली, 1986 पूरे प्रदेश में तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसी सत्र से "पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना" संचालित कर दी गई है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना आरम्भ की है। सत्र 1986-87 में शारीरिक शिक्षा, विक्रय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, कार्मिक प्रबंध, बागवानी एवं बैंकिंग आदि पाठ्यक्रमों की रचना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को क्रियात्मक साक्षरता अभियान में लगाने का निर्णय लिया गया है। गत जुलाई में शिक्षा प्रसार की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति होने तक, तदर्थ नियुक्तियों के बजाय अंशकालिक स्वयं-सेवियों की व्यवस्था की जाय और उनको निर्धारित दर पर मानदेय दिया जाय।

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए, वर्तमान वित्तीय वर्ष में चार पालीटेक्निक तथा तीन महिला पालीटेक्निक स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मेरी सरकार खेलों के स्तर में सुधार और प्रगति के लिये विशेष प्रयत्नशील है। दिल्ली में इस प्रदेश का एक मुख्य खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके अन्तर्गत इन्दिरा गांधी मेमोरियल अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विदेशी टीमों ने भी भाग लिया। चालू वित्तीय वर्ष में खेल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में प्रथम बार उत्तर प्रदेश अन्तर्विश्वविद्यालय तथा खेल प्रतिभा चयन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिससे विभिन्न खेलों में बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आये जिनको प्रशिक्षण प्रदान कर अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जा सकता है। खिलाड़ियों को अधिकतम खेल सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से क्रीड़ा प्रतिष्ठानों के निर्माण पर मेरी सरकार विशेष बल दे रही है।

9114

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और उसके द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा रखने का प्रयास किया है। इस सत्र में कुछ विशेष कारणवश आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 1987-88 के प्रथम 4 महीनों के लिये लेखा अनुदान प्रस्तुत किया जायगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये अनुपूरक मांगें भी आपके समक्ष रखी जायेंगी। इन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायगी। इस बीच जब दोनों सदन सत्र में नहीं थे मैंने कतिपय अध्यादेश प्रख्यापित किये थे। इन अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी सम्माननीय सदस्य राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास और लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर इस राज्य की गौरवमयी परम्परा का निर्वहन गम्भीरता और सहिष्णुता के साथ करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं।

जय हिन्द

(देखिये पीछे पृष्ठ 15 पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 में "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958, के नियम 147 के अन्तर्गत किया गया शाब्दिक संशोधन :

विधेयक के खण्ड 12 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 198-क (1) की पंक्ति तीन के अन्त में प्रयुक्त पूर्णविराम के चिह्न को हटा दिया गया है।

अनुवाद सेवा

पी0 एस0 यू0 पी0-316 विधान सभा (617)-1987-813 ।